

# राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :—572/2025

शबाना बानो

—अपीलार्थी

## बनाम

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा, शासन सचिवालय, जयपुर, राजस्थान।
2. जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्यालय माध्यमिक, दौसा।
3. पीईईओ/प्रधानाचार्य, राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, अलूदा, दौसा।

—प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 20.01.2025

आदेश की दिनांक : 06.02.2025

उपस्थिति :—

अपीलार्थी की ओर से : श्री उम्मेद सिंह तंवर, अभिभाषक

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री महिपाल खर्वा, अति.राजकीय अभिभाषक

समक्ष :— विकास सीतारामजी भाले, अध्यक्ष  
अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)

## आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी का स्थानान्तरण/पदस्थापन आदेश दिनांक 07.12.2024 के द्वारा महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय, ढाणी बैरवा, अलूदा, नांगल राजावतान से राजकीय प्राथमिक विद्यालय, Kaba Dhani Shyalawas नांगल राजावतान में किया गया था। उक्त आदेश में यह अंकित किया गया था कि कार्मिक को तत्काल प्रभाव से कार्य ग्रहण करना अनिवार्य होगा। उक्त आदेश की पालना में अपीलार्थी ने दिनांक 07.12.2024 को कार्य ग्रहण कर लिया था। इसके पश्चात निदेशक माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर द्वारा अधिशेष कर्मियों के समायोजन के सम्बन्ध में कार्यालय आदेश पारित किया, जिसमें अधिशेष कर्मियों का परिवेदना प्रस्तुत करने के लिये स्वतंत्रा दी गयी और परिवेदना निस्तारण करने हेतु कमेटी का गठन किया गया। अपीलार्थी ने निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान के उक्त कार्यालय आदेश की पालना में एक परिवेदना प्रत्यर्थी विभाग को प्रस्तुत की। अपीलार्थी की परिवेदना को

स्वीकार कर नवीन पदस्थापन आदेश दिनांक 25.12.2024 (अनुलग्नक-1) जारी किया गया, जिसमें अपीलार्थी को नवीन स्थान राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, चावण्ड हिंगोटिया, दौसा में समायोजन किये जाने के आदेश पारित किये गये। अपीलार्थी अपनी परिवेदना के अनुसार नवीन पदस्थापित स्थान पर कार्य ग्रहण करना चाहता है, परन्तु अपीलार्थी को इस आधार पर कार्य मुक्त नहीं किया जा रहा है कि अपीलार्थी ने पूर्व में आदेश दिनांक 07.12.2024 की पालना में कार्य ग्रहण कर लिया था। अपीलार्थी के अधिवक्ता का कथन है कि नवीन आदेश दिनांक 25.12.2024 में गलत रूप से यह शर्त अंकित की गयी है कि पूर्व के आदेश दिनांक 07.12.2024 की पालना में जिन कार्मिकों ने कार्यमुक्त होकर समायोजित स्थान पर कार्य ग्रहण कर लिया है, तो यह आदेश उन कार्मिकों पर प्रभावी नहीं होगा। चूंकि अपीलार्थी को परिवेदना दिये जाने की स्वतंत्रता दी गयी थी। ऐसे में अपीलार्थी की परिवेदना यदि अपीलार्थी के पक्ष में निस्तारित हुई है तो ऐसी स्थिति में अपीलार्थी को नवीन स्थान पर कार्य ग्रहण करने की स्वतंत्रता दी जानी चाहिए।

3. हमने अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा दिये गये तर्कों पर विचार किया एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया।
4. हम पाते हैं कि अपीलार्थी द्वारा कार्य ग्रहण करने के पश्चात परिवेदना प्रत्यर्थी विभाग को दी गयी थी और प्रत्यर्थी विभाग द्वारा परिवेदना का निस्तारण किया गया। ऐसे में जब अपीलार्थी की परिवेदना का निस्तारण उच्च अधिकारियों द्वारा किया जा चुका है तो अपीलार्थी को उसकी परिवेदना के अनुसार नये स्थान पर कार्य ग्रहण करने से रोका जाना उचित नहीं है।
5. उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाती है। प्रत्यर्थी विभाग को यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी की निस्तारित परिवेदना के अनुसार अपीलार्थी को नवीन पदस्थापित स्थान पर कार्य ग्रहण करने के लिये आदेश दिनांक 25.12.2024 (अनुलग्नक-1) की पालना में कार्यमुक्त करें।
6. उपरोक्त आदेश के साथ अपील का निस्तारण किया जाता है।

(अनन्त भंडारी)  
सदस्य (न्यायिक)

(विकास सीतारामजी भाले)  
(अध्यक्ष)